दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ. Plexh/Cir/226 11.06.2026

को

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय सदस्य,

प्लेक्सकॉन्सिल की ओर से नमस्कार!

वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की स्वीकार्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए निर्यात उत्पादों हेतु सततता प्रमाणन मानक तैयार कर रहा है।

यह कदम ऐसे समय में बेहद प्रासंगिक है जब यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थिरता से संबंधित अनुपालन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ अगस्त 2026 से पैकेजिंग और पैकेजिंग अपशिष्ट विनियमन (पीपीडब्ल्यूआर) लागू करने की संभावना है, जिसके तहत पैकेजिंग सामग्री की पुनर्चक्रण क्षमता, परीक्षण और प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही, यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार, 2030 तक सभी पैकेजिंग सामग्री पुनर्चक्रण योग्य होनी चाहिए, जिसमें उपभोक्ता के बाद पुनर्चक्रित (पीसीआर) सामग्री के लिए निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए गए हों।

इस संदर्भ में, हम सदस्यों से निम्नलिखित विषयों पर जानकारी साझा करने का अनुरोध करते हैं:

(i) उत्पाद (एचएस कोड का उल्लेख करें) और गंतव्य बाजार जहां स्थिरता से जुड़े प्रमाण पत्र या दस्तावेजी साक्ष्य पहले से ही अनिवार्य हैं या आमतौर पर आवश्यक हैं;

(ii) ऐसे उत्पाद जिनके लिए निकट से मध्यम अवधि में ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता होने की संभावना है;

(iii) प्रमुख डेटा बिंदु, कार्यप्रणाली और सत्यापन प्रक्रियाएं जिन्हें भारतीय सतत विकास प्रमाणन ढांचे को विदेशी बाजारों में स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए शामिल करना चाहिए; और

(iv) कोई अन्य प्रासंगिक क्षेत्र-विशिष्ट इनपुट या विचार।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने सुझाव bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर सोमवार, 15 जून 2026 को दोपहर 3 बजे या उससे पहले भेजें।

हम आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हार्दिक सम्मान के साथ,
प्लेक्सकॉन्सिल